[2021] 2 एस. सी. आर. 266

सुमेती विज

विरुद्ध

मेसर्स पैरामाउंट तकनीक फेब उद्योग

(आपराधिक अपील सं. 292 2021 का)

09 मार्च, 2021

[इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी, न्यायाधीशगण]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881। 138 - अभियुक्त द्वारा दिया गया आदेश-अपीलार्थी-वितरित-शिकायतकर्ता-प्रतिवादी के नाम पर अपीलार्थी द्वारा जारी चेक-अपीलार्थी के खाते में "अपर्याप्त धन" के नोट के साथ प्रस्तुत करने पर वापस किया गया प्रत्यर्थी द्वारा भेजे गए नोटिस-न तो जवाब दिया और न ही कोई भुगतान किया गया वैधानिक अवधि के भीतर की गई-प्रतिवादी द्वारा दायर की गई शिकायतें s.138-निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने का निष्कर्ष वापस किया गया-उल्टा उच्च न्यायालय द्वारा-आयोजितः अपीलार्थी ने केवल अपना बयान दर्ज किया है s.313, सी. आर. पी. सी. और इस धारणा का खंडन करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है कि चेक विचार के लिए जारी किए गए थे-तथ्य अप्रमाणित रहे और रिकॉर्ड पर साक्षय के साथ समर्थित रहे-अपीलार्थी को उच्च न्यायालय की आपराधिक संहिता द्वारा सही तरीके से दोषी ठहराया गया। प्रक्रिया, 1973 एस। 313 .

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-अध्याय 17; s.138-परिचय का उद्देश्य-चर्चा की गई।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - s.139-का दायरा -

चर्चा की।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

अभिनिर्धारित : 1.1 परक्राम्य लिखत अधिनियम में धारा 138 और अध्याय XVII के अन्य प्रावधानों को लागू करने का उद्देश्य, 1881 ऐसा प्रतीत होता है कि यह देनदारियों के निपटान में चेक की स्वीकार्यता को बढ़ाता है। चेक के ड्रॉअर को चेक के अपमान पर अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, जिसमें ईमानदार ड्रॉअरों के उत्पीड़न को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। धारा 138 मुख्य रूप से एक नागरिक गलती से संबंधित है और वर्ष 2000 में किए गए संशोधन ने विशेष रूप से इसे शमनीय बना दिया। धारा 139 के तहत अनुमान को देखते हुए सबूत का भार आरोपी पर था। अधिनियम और प्रमाण का मानक "की प्रधानता" का था संभावनाएँ "। अनुमान लगाने का आदेश है कि अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में विचार और इस धारणा का खंडन करने के लिए कि चेक अधिनियम की धारा 138 के संदर्भ में किसी भी ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी

नहीं किया गया था, चेक जारी करने के प्रमाण पर अभियुक्त पर जिम्मेदारी स्थानांतरित हो जाती है। [पैरा 13,14] [272-डी-ई; 237-ए-बी]

1.2 अधिनियम की धारा 139 का दायरा यह है कि जब अभियुक्त को इस धारणा का खंडन करना पड़ता है, ऐसा करने के लिए प्रमाण का मानक "प्रधानता या संभावनाओं" का है। अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही अर्ध-आपराधिक प्रकृति की है, और अन्य आपराधिक मामलों में बरी होने पर लागू होने वाले सिद्धांत अधिनियम के तहत स्थापित मामलों में लागू नहीं होते हैं। इसी तरह, अधिनियम की धारा 139 के तहत, यह अनुमान लगाया जाता है कि चेक धारक को किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए चेक प्राप्त हुआ है। इस धारणा का खंडन करने के लिए, अभियुक्त द्वारा तथ्यों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो संभावना की प्रधानता पर (उचित संदेह से परे नहीं जैसे कि आपराधिक अपराधों का मामला), तब साबित किया जाना चाहिए। [पैरा 15 17] [274-ए-बी; जी-एच; 275-ए-बी]

1.3 मामले में, शिकायतकर्ता साबित करने में सक्षम था कि अपीलार्थी ने गैर-बुने हुए कपड़े को खरीदने का आदेश दिया जिसे रुपये की राशि के चालान के माध्यम से बेचा गया था। रु. 5,10,000/- जो सार्वजनिक वाहक ट्रकों के माध्यम से वितरित किया गया था और उसके बदले में, शिकायतकर्ता के पक्ष में चेक अपीलार्थी द्वारा उसके दायित्व का निर्वहन करने के लिए जारी किए गए थे। नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किए जा रहे चेकों पर, अपीलार्थी के खाते में "अपर्याप्त धन" के आधार पर उनका अपमान किया गया और उन्हें वापस कर दिया गया। इसके अलावा, जब शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायतों के समर्थन में दस्तावेजों का प्रदर्शन किया और उसके समर्थन में तीन गवाहों का बयान दर्ज किया, तो अपीलार्थी ने संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज किया, लेकिन धारा के तहत उपलब्ध अपने बचाव के समर्थन में धारणा को गलत साबित करने या खंडन करने के लिए सबूत दर्ज करने में विफल रही। 139 अधिनियम से। अपीलार्थी ने इस धारणा का खंडन करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है कि चेक जारी किए गए थे विचार करें। संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अभियुक्त का बयान बचाव, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट का ठोस सबूत नहीं है। लेकिन केवल अभियुक्त को आरोप के अभियोजन मामले में उपस्थित होने वाली आपराधिक परिस्थितियों को समझाने का अवसर उच्च न्यायालय ने रिकॉर्डिंग में कोई त्रुटि नहीं की है

अपीलार्थी के अपराध का पता लगाना और उसके आक्षेपात्मक निर्णय के तहत अधिनियम की धारा 138 के तहत किए गए अपराध के लिए उसे दोषी ठहराना, जिसमें आगे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 12,18 और 24] [277-सी-ई; 278-ए-बी; 279-सी-डी]

के. प्रकाशन बनाम पी. के. सुरेंद्रन (2008) 1 एस. सी. सी. 258:

[2007] 10 एस. सी. आर. 1010; इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड

और अन्य वी। मैगनम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और

दूसरा (2014) 12 एस. सी. सी. 539 [2014] 5 एस. सी. आर. 56-आयोजित

अप्रयोज्य।

रंगप्पा बनाम। श्री मोहन (2010) 11 एससीसी 441: [2010]
6 एस. सी. आर. 507; रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम। गुजरात राज्य
और दूसरा (2019) 18 एस. सी. सी. 106; उत्तम राम बनाम। देविंदर
सिंह हुदान और एक अन्य (2019) 10 एस. सी. सी. 287-- आश्रित
पर।

मामला कानून संदर्भ

अप्रयोज्य रखा गया

[2007] 10 एससीआर 1010

पै

रा 8

अप्रयोज्य रखा गया

[2014] 5 एससीआर 56

पै

रा 8

[2010] 6 एससीआर 507

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

(2019) 18 एस. सी. सी. 106

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

(2019) 10 एस. सी. सी. 287

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णय: आपराधिक ऐप

2021 का सं. 292।

उच्च निगम के 30.04.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

हिमाचल प्रदेश के शिमला में क्र. 2012 की अपील सं. 483

के साथ 2021 की
आपराधिक अपील संख्या 293

रितेश खत्री, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अमित गुप्ता, हरि शंकर महापात्रा, मेसर्स। मित्तर और मित्तर (

अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
रास्टोगी, जे।

1. अनुमति दी गई ।

2. अपीलार्थी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 30 अप्रैल, 2019 को पारित निर्णय से व्यथित है, जिसमें अपीलार्थी को 28 सितंबर, 2012 के अपने निर्णय द्वारा विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा वापस किए गए बरी किए जाने के निष्कर्ष को पलटने के बाद परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया है।

3. रिकॉर्ड से सामने आने वाले मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता आरोपी ने मोगिनंद में अपनी फैक्ट्री में शिकायतकर्ता-प्रतिवादी से संपर्क किया और गैर-कानूनी सामान खरीदने की इच्छा व्यक्त की। शिकायतकर्ता से बुना हुआ कपड़ा। अपीलार्थी द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर, गैर-बुना हुआ कपड़ा अपीलार्थी को चालान संख्या 120 दिनांक 1 अक्टूबर, 2010 और चालान No.135 दिनांक 16 अक्टूबर, 2010 के माध्यम से बेचा गया था, जिसकी राशि रु। 5,07,062 / - और रु. 5,10,000/- जो सार्वजनिक वाहक ट्रक के माध्यम से वितरित किया गया था। एच. आर.-38 जी-5607 और एच. पी.-71 0693 अपीलार्थी अभियुक्त को और उसके बदले में, शिकायतकर्ता के नाम से एक चेक दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 और दिनांक 1 नवंबर, 2010 को पंजाब नेशनल बैंक, करनाल के उसके खाते से जारी किया गया था ताकि कानूनी मौजूदा और प्रवर्तनीय देनदारियों को पूरा किया जा सके। पंजाब नेशनल बैंक, करनाल से 19 अक्टूबर, 2010 और 10 नवंबर, 2010 के ज्ञापन के माध्यम से अपीलार्थी के खाते में "अपर्याप्त धन" के नोट के साथ चेक वापस कर दिए गए थे। शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी को दो पतों पर 29 अक्टूबर, 2010 और 19 नवंबर, 2010 को दो कानूनी नोटिस भेजे गए

थे। नोटिस विधिवत जारी किए गए थे, लेकिन अपीलार्थी ने न तो नोटिसों का जवाब दिया और न ही वैधानिक अवधि के भीतर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोई भुगतान किया, इसलिए दो अलग-अलग शिकायतकर्ता-प्रतिवादी द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतें दर्ज की गई थीं।

4. शिकायतकर्ता-प्रतिवादी ने विद्वत विचारण न्यायाधीश के समक्ष प्रारंभिक साक्षय दर्ज किया और उसके बाद, अपीलार्थी-अभियुक्त को अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए तलब करने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थी की उपस्थिति के बाद सुनिश्चित करते हुए, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 138 के तहत कथित रूप से उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए अभियुक्त के खिलाफ आरोप की सूचना दी, जिसमें उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

5. शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी अभियुक्त के खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए तीन गवाहों से पूछताछ की है और

दस्तावेजी साक्षय जो विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णय के पैरा 3 में विधिवत प्रदर्शित और विस्तार से संदर्भित किए गए थे। शिकायतकर्ता के साक्षय को दर्ज करने के समापन पर, अपीलार्थी अभियुक्त का बयान विद्वत विचारण न्यायाधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें अपीलार्थी-अभियुक्त ने निर्दोष होने का दावा किया और मामले में गलत निहितार्थ का अनुरोध किया, हालांकि बचाव में कोई सबूत नहीं मिला।

6. अभिलेख पर साक्षय के अवलोकन पर, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने एक निष्कर्ष वापस किया कि शिकायतकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहा कि सामग्री / अपीलार्थी को माल वितरित किया गया था जिसके बदले में, चेक जारी किए गए थे, और शिकायतकर्ता द्वारा बोझ का निर्वहन किए जाने के अभाव में, अनुमान को गलत साबित करने या खंडन करने की जिम्मेदारी अपीलार्थी को स्थानांतरित नहीं की जा सकती थी जैसा कि अधिनियम की धारा 139 के तहत संदर्भित है। तदनुसार, निचली अदालत ने अपीलार्थी को बरी करने के निष्कर्ष को वापस कर दिया, जो शिकायतकर्ता के कहने पर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती का विषय था।

7. अभिलेख पर साक्षय के पुनर्मूल्यांकन पर उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि शिकायतकर्ता द्वारा प्राथमिक बोझ का निर्वहन किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री के बदले में चेक जारी किए गए थे, और दावे की पुष्टि करने के लिए विधिवत प्रदर्शित दस्तावेजी साक्षय को रिकॉर्ड पर रखा गया था, और यह अपीलार्थी-अभियुक्त पर था कि वह अधिनियम की धारा 139 के तहत आवश्यक बचाव में खंडन करने के लिए अपने बोझ का निर्वहन करे। तत्काल मामले में, अपीलार्थी ने केवल संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज किया। हालांकि, बचाव में धारणा को गलत साबित करने या खंडन करने के लिए कोई सबूत दर्ज नहीं किया गया था। ट्रायल जज द्वारा दर्ज किए गए बरी किए जाने के निष्कर्ष को दरकिनार करते हुए रिकॉर्ड पर समग्र सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध करने का दोषी था और इसके परिणामस्वरूप, उसे दंडित किया गया।

8. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता यह साबित करने में सक्षम नहीं था कि सामग्री/सामान कभी भी अपीलार्थी द्वारा भेजा या प्राप्त किया गया था और शिकायत के संदर्भ में, यह साबित करने का बोझ शिकायतकर्ता पर था कि सामग्री/सामान सुमेती विज़ v द्वारा प्राप्त किया गया था। अपीलार्थी, जिसके खिलाफ चेक प्रतिभूति के रूप में प्राप्त किए गए थे और भले ही अपीलार्थी ने बचाव में धारणा को गलत साबित करने या खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है, फिर भी शिकायतकर्ता को अपना बोझ उठाना पड़ता है और उसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम दृष्टया बोझ का निर्वहन नहीं किए जाने के अभाव में, अपीलार्थी द्वारा केवल चेक जारी करना यह उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होता कि चेक किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन में जारी किए गए थे। उनके निवेदन के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने के. प्रकाशन बनाम पी. के. मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। सुरेंद्रन 1 और इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम मैगनम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 2।

9. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी के मन में संदेह पैदा करने में सफल रहा या किसी भी प्रासंगिक सामग्री पर विचार न करने के मामले में, उच्च न्यायालय को केवल इस आधार पर निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के निष्कर्ष को उलटने और दरकिनार करने में उचित नहीं ठहराया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार निचली अदालत द्वारा 28 सितंबर, 2012 के अपने फैसले में व्यक्त किए गए विचार के साथ अधिक प्रशंसनीय है।

10. अपीलार्थी के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष अधिनियम की धारा 118 (ए), 138 और 139 के अधिदेश की सराहना करने में इस न्यायालय द्वारा विचार किए गए कानून के तय किए गए सिद्धांतों के विपरीत है। इसके परिणामस्वरूप इसके लिए, अपराध का निष्कर्ष जो उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है विवादित निर्णय में कानून में अस्थिर है, और इसे अलग रखा जाना चाहिए।

11. इसके विपरीत, शिकायतकर्ता के लिए विद्वान वकील-उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष का समर्थन करते हुए प्रतिवादी निर्णय में कहा गया कि इस बात को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है कि ये चेक माल की डिलीवरी के बाद चालान के संदर्भ में जारी किए गए थे, जिन्हें विधिवत प्रदर्शित किया गया था और इसके बदले में चेक जारी किए गए थे। तथ्यों के क्रम में, अपीलार्थी द्वारा जारी किए गए चेक, बैंक को उचित प्रस्तुति पर "अपर्याप्त धन" के आधार पर अपमानित हो गए। अपीलार्थी को वैधानिक नोटिस जारी किया गया था, जो जवाब देने में विफल रहा। शिकायतें दर्ज की गई थीं अधिनियम की धारा 139 के तहत।

12. तत्काल मामले में, अपीलार्थी ने केवल संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज किया है, और इस धारणा का खंडन करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है कि चेक विचार के लिए जारी किए गए थे। एक बार जब तथ्य अभिलेख पर आ गए, तो वे निर्विवाद रहे और अभिलेख पर साक्षय के साथ समर्थित रहे, जिसमें अपीलार्थी के बचाव का कोई ठोस सबूत नहीं था ताकि दोषपूर्ण परिस्थितियों की व्याख्या की जा सके। उसके खिलाफ शिकायत में उपस्थित होने पर कोई त्रुटि नहीं हुई है आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय और अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया गया है और इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. अधिनियम में धारा 138 और अध्याय XVII के अन्य प्रावधानों को लागू करने का उद्देश्य निम्नलिखित की स्वीकार्यता को बढ़ाना प्रतीत होता है -

देनदारियों के निपटान में चेक। चेक के ड्रॉअर को चेक के अपमान पर अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, जिसमें ईमानदार ड्रॉअरों के उत्पीड़न को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। धारा 138 मुख्य रूप से एक नागरिक गलती से संबंधित है और वर्ष 2000 में किए गए संशोधन ने विशेष रूप से इसे शमनीय बना दिया। अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान को देखते हुए सबूत का भार आरोपी पर था और सबूत का मानक "संभावनाओं की प्रधानता" का था। एन. आई. अधिनियम में अधिनियम की धारा 118 (ए) और 139 के संदर्भ में विचार की धारणा रखने वाला एक चेक शामिल है जो नीचे उल्लिखित उद्देश्य से संबंधित है:

" 118 परक्राम्य उपकरणों के बारे में अनुमान। -जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक निम्नलिखित अनुमान लगाए जाएंगे:

(क) इस बात पर विचार करना कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत को विचार के लिए बनाया गया था या तैयार किया गया था, और यह कि ऐसा प्रत्येक लिखत, जब इसे स्वीकार किया गया हो, स्वीकार किया गया हो, बातचीत की गई हो या स्थानांतरित किया गया हो, स्वीकार किया गया हो, स्वीकार किया गया हो, बातचीत की गई हो या विचार के लिए स्थानांतरित किया गया हो;

.....

139. धारक के पक्ष में अनुमान। यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, कि चेक धारक को एम. ई. टी. आई. वी. आई. जे. v प्राप्त हुआ है। निर्वहन के लिए धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक, किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से।

14. शर्तों में विचार के अनुमान का एक अधिदेश है अधिनियम के प्रावधान और जिम्मेदारी सबूत के आधार पर अभियुक्त को सौंपी जाती है इस धारणा का खंडन करने के लिए कि चेक था डी की धारा 138 के संदर्भ में किसी भी ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए नहीं सी. टी., जो नीचे लिखा है:

" 138. धन की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर खाते में। जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा खींचा गया कोई भी चेक किसी भी ऋण या अन्य देयता का पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन, बैंक द्वारा भुगतान किए बिना वापस कर दिया जाता है, या तो राशि के कारण उस खाते में जमा राशि सम्मान के लिए अपर्याप्त है। चेक या कि यह भुगतान करने के लिए निर्धारित राशि से अधिक है उस खाते से उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा, जैसे व्यक्ति को अपराध किया हुआ माना जाएगा और, इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, 8 [एक अवधि जो दो तक बढ़ाई जा सकती है] के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। वर्ष '], या जुर्माने के साथ जो राशि के दोगुने तक बढ़ सकता है चेक, या दोनों के साथ: बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि -

(अ) चेक एक अवधि के भीतर बैंक को प्रस्तुत कर दिया गया है। जिस तारीख को इसे खींचा गया है, उससे छह महीने के भीतर

इसकी वैधता की अवधि, जो भी पहले हो;

चेक के नियत समय में प्राप्तकर्ता या धारक, के रूप में

(ख) मामला हो सकता है, एक नोटिस देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करता है; लिखित रूप में, चेक के दराज को, की प्राप्ति के [तीस दिनों के भीतर]

की वापसी के संबंध में बैंक से उसके द्वारा जानकारी

भुगतान न किया गया चेक; और

इस तरह के चेक का दराज भुगतान करने में विफल रहता है

((ग) पंद्रह के भीतर, चेक के नियत समय में, प्राप्तकर्ता को या, जैसा भी मामला हो, धारक को दी गई उक्त राशि

उक्त सूचना की प्राप्ति के दिन। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "ऋण या अन्य

दायित्व का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व।

15. अधिनियम की धारा 139 का दायरा यह है कि जब किसी अभियुक्त को अनुमान का खंडन करना होता है, तो ऐसा करने के लिए प्रमाण का मानक "प्रधानता या संभावनाओं" का होता है, जिसकी जांच तीन लोगों द्वारा की गई है। रंगप्पा बनाम श्री मोहन 3 में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ, जो इस प्रकार है:

" 26. इन उद्धरणों के आलोक में, हम प्रत्यर्थी दावेदार के साथ सहमत हैं कि अधिनियम की धारा 139 द्वारा अनिवार्य अनुमान में वास्तव में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व का अस्तित्व शामिल है। इस हद तक, विवादित

कृष्ण जनार्दन भट [(2008) 4 एस. सी. सी. 54 में टिप्पणियाँ:

(2008) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 166] सही नहीं हो सकता है। हालाँकि, यह किसी भी तरह से निर्णय की शुद्धता पर संदेह नहीं करता है।

27. अधिनियम की धारा 139 एक विपरीत दायित्व खंड का एक उदाहरण है जिसे परक्राम्य उपकरणों की विश्वसनीयता में सुधार के विधायी उद्देश्य को आगे बढ़ाने में शामिल किया गया है। जबकि अनुभाग 138 अधिनियम चेक के अपमान के संबंध में एक मजबूत आपराधिक उपचार निर्दिष्ट करता है, धारा 139 के तहत खंडन योग्य धारणा मुकदमेबाजी के दौरान अनुचित देरी को रोकने के लिए एक उपकरण है। हालांकि, यह याद रखना चाहिए कि धारा 138 द्वारा दंडनीय अपराध को एक नियामक अपराध के रूप में बेहतर तरीके से वर्णित किया जा सकता है क्योंकि चेक का उछलना काफी हद तक एक नागरिक गलती की प्रकृति का होता है जिसका प्रभाव आमतौर पर वाणिज्यिक लेनदेन में शामिल निजी पक्षों तक ही सीमित होता है। ऐसे परिदृश्य में, आनुपातिकता की परीक्षा को विपरीत

दायित्व खंडों के निर्माण और व्याख्या का मार्गदर्शन करना चाहिए और प्रतिवादी-अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। एक अनुचित उच्च मानक या प्रमाण का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है।

16. यह अच्छी तरह से तय है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही अर्ध-आपराधिक प्रकृति की है, और अन्य आपराधिक मामलों में बरी होने पर लागू होने वाले सिद्धांत इसके तहत स्थापित मामलों में लागू नहीं होते हैं।

17. इसी तरह, अधिनियम की धारा 139 के तहत, एक अनुमान लगाया जाता है चेक धारक को किसी ऋण या अन्य दायित्व के आंशिक रूप से या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए चेक प्राप्त हुआ। इस धारणा का खंडन करने के लिए, अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो क्षमता (आपराधिक मामले में उचित संदेह से परे नहीं) ces), तब साबित किया जाना चाहिए। रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम राज्य सरकार और एक अन्य मामले में, इस न्यायालय ने अधिनियम की धाराओं और 139 के दायरे की जांच की है, जो निम्नानुसार है:

> " 15. अब तक बुनियादी अवयवों के अस्तित्व का सवाल एन. आई. अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत अनुमान लगाना संबंधित है, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी-अभियुक्त प्रश्नगत चेक पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं कर सकता था जो तैयार किए गए थे प्रत्येक अभियुक्त द्वारा रखे गए बैंक खाते में शिकायतकर्ता के पक्ष में 3 लाख रुपये की राशि के लिए। उक्त चेक उनकी वैधता की अवधि के भीतर संबंधित बैंक को प्रस्तुत किए गए थे और शेष राशि अपर्याप्त होने या खाता बंद होने के कारण बिना भुगतान किए वापस कर दिए गए थे। धारा 138 के साथ-साथ धारा 118 और 139 के सभी बुनियादी तत्व अभिलेख के सामने स्पष्ट हैं। निचली अदालत ने भी जानबूझकर इन तथ्यों पर ध्यान दिया था और अपेक्षित अनुमान लगाया था। इसलिए, यह मान लेना आवश्यक है कि विचाराधीन चेक विचार के लिए तैयार किए गए थे और धारक
>
> 17. संभावनाओं की प्रधानता से संबंधित पहलुओं पर, अभियुक्त को ऐसे तथ्यों और ऐसी परिस्थितियों को रिकॉर्ड पर लाना होता है जो न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं था या इसका अस्तित्व न होने की इतनी संभावना थी कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति, मामले की परिस्थितियों में, इस दलील पर कार्रवाई करेगा कि विचार मौजूद नहीं था। इस न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि हालांकि पर्याप्त नकारात्मक साक्षय नहीं हो सकते हैं जिन्हें अभियुक्त द्वारा रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है। अपने बोझ का निर्वहन, फिर भी केवल इनकार पूरा नहीं करेगा एन. आई. अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत परिकल्पित खंडन की आवश्यकताएँ। इस न्यायालय ने कुमार के सिद्धांतों को बताया। निर्यात [कुमार निर्यात बनाम। शर्मा कार्पेट्स (2009) 2 एस. सी. सी. 513]
>
> " 20. अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमे में आरोपी के पास दो विकल्प हैं। वह या तो यह दिखा सकता है कि प्रतिफल और ऋण का अस्तित्व नहीं था या मामले की विशेष परिस्थितियों में प्रतिफल और ऋण का अस्तित्व नहीं होने की इतनी संभावना है कि एक

बुद्धिमान व्यक्ति को यह मान लेना चाहिए कि कोई प्रतिफल और ऋण नहीं था। अस्तित्व में था। वैधानिक अनुमानों का खंडन करने के लिए एक अभियुक्त से उचित संदेह से परे अपने बचाव को साबित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। आपराधिक मुकदमे में शिकायतकर्ता से अपेक्षा की जाती है। अभियुक्त यह साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्षय प्रस्तुत कर सकता है कि विचाराधीन नोट विचार द्वारा समर्थित नहीं था और उसके द्वारा कोई ऋण या देयता नहीं चुकाई जानी थी। हालाँकि, अदालत को हर मामले में इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त को इस गैर-अस्तित्व को गलत साबित करना चाहिए प्रत्यक्ष साक्षय का नेतृत्व करके प्रतिफल और ऋण क्योंकि यह विचार करते हुए कि उसने कोई ऋण या दायित्व नहीं लिया था, अभियुक्त परिस्थितिजन्य साक्षय पर भी भरोसा कर सकता है और यदि इस प्रकार निर्भर परिस्थितियाँ बाध्यकारी हैं, तो बोझ हो सकता है - इसी तरह शिकायतकर्ता के पास फिर से जाएँ। अभियुक्त तथ्य के अनुमानों पर भी भरोसा कर सकता है, उदाहरण के लिए, साक्षय अधिनियम की धारा 114 में उल्लिखित अनुमानों का खंडन करने के लिए। अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत।

21. अभियुक्त के पास एस. यू. एम. ई. टी. आई. वी. आई. जे. v. द्वारा निर्धारित मामले से साक्षय देकर या कुछ स्पष्ट और असाधारण मामलों में प्रतिफल और ऋण या दायित्व के अस्तित्व को साबित करने का भी विकल्प है। शिकायतकर्ता, अर्थात् शिकायत में कथन, वैधानिक सूचना में उल्लिखित मामला और मुकदमे के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्षय। एक बार जब इस तरह के खंडन साक्षय प्रस्तुत किए जाते हैं और

अदालत द्वारा स्वीकार किया गया, मामले की सभी परिस्थितियों और संभावनाओं की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए, साक्षय का बोझ शिकायतकर्ता पर वापस चला जाता है और इसलिए, अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत अनुमान फिर से शिकायतकर्ता के बचाव में नहीं आएंगे। 01 अक्टूबर, 2010 और चालान संख्या 135 दिनांक 16 अक्टूबर, 2010 की राशि रु. 5,07,062/- और रु. 5,10,000/- जिसे सार्वजनिक वाहक ट्रक के माध्यम से वितरित किया गया था। एचआर-38 जी-5607 और एचपी-71 0693 और इसके बदले में, शिकायतकर्ता के पक्ष में दिनांक 15 अक्टूबर, 2010 के No.323930 और दिनांक 1 नवंबर, 2010 के No.323935 वाले चेक अपीलार्थी द्वारा उसके दायित्व को पूरा करने के लिए जारी किए गए थे। भारतीय स्टेट बैंक, शाखा काला अम्ब को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किए जा रहे चेकों पर, अपीलार्थी के खाते में "अपर्याप्त धन" के आधार पर उनका अपमान किया गया था और उन्हें पंजाब नेशनल बैंक, करनाल द्वारा 19 अक्टूबर और 10 नवंबर, 2010 के ज्ञापन के माध्यम से वापस कर दिया गया था।

19. इसके बाद, शिकायतकर्ता द्वारा दो अलग-अलग कानूनी नोटिस जारी किए गए जो अपीलार्थी द्वारा विधिवत प्राप्त किए गए और उसके बाद भी।

20. जब चेक जारी किए गए थे, या अपने बैंकर को प्रस्तुत करने के बाद, या जब उनका अपमान किया गया था, या कानूनी नोटिस जारी किए जाने के बाद अपीलार्थी द्वारा किसी भी स्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी, जिसमें अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि दोनों चेक उसके बैंकर को प्रस्तुत किए

जाने पर इस नोट के साथ वापस कर दिए गए थे कि "अपर्याप्त धन" के कारण उनका सम्मान नहीं किया जा सकता है।

21. इसके अलावा, जब शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायतों के समर्थन में इन सभी दस्तावेजों का प्रदर्शन किया और तीन गवाहों के बयान दर्ज किए 313 संहिता की, लेकिन अधिनियम की धारा 139 के तहत उपलब्ध अपने बचाव के समर्थन में धारणा को गलत साबित करने या खंडन करने के लिए साक्षय दर्ज करने में विफल रही। धारा 313 के तहत दर्ज किया गया आरोपी का बयान संहिता बचाव का एक ठोस प्रमाण नहीं है, बल्कि केवल एक अवसर है अभियुक्त के अभियोजन मामले में दिखाई देने वाली दोषपूर्ण परिस्थितियों को समझाने के लिए। इसलिए, इस धारणा का खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि चेक विचार के लिए जारी किए गए थे।

22. जिस निर्णय पर अपीलार्थी के विद्वान वकील ने निर्भरता यानी के. प्रकाशन बनाम को रखा है। पी. के. सुरेंद्रन का नहीं हो सकता है इस कारण से कोई सहायता कि अधिनियम की धारा 138 के तहत व्यवहार करने वाले मामले में, अभियोजन पक्ष को मामले को साबित करना है और ये मामले अर्ध-आपराधिक प्रकृति के होने के कारण "संभावनाओं की प्रधानता" के सिद्धांतों के आधार पर साबित किए जाने हैं, न कि उन सिद्धांतों के आधार पर जिनकी आपराधिक मामले में जांच की जा रही है ताकि आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया जा सके। जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत अन्य मामला है अर्थात इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम। मैगनम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य ', वहाँ था

रिकॉर्ड पर सामग्री की पर्याप्तता यह साबित करने के लिए कि चेक माल की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में जारी किए गए थे, और अनुबंध के नियमों और शर्तों में से एक यह था कि पूरा भुगतान आपूर्तिकर्ता को पहले से किया जाएगा। हालांकि, बहुत समय के भीतर, आपूर्तिकर्ता शिकायतकर्ता को खरीदारों से खरीद आदेश रद्द करने का पत्र प्राप्त हुआ और उसने आपूर्तिकर्ता से दोनों चेक वापस करने का अनुरोध किया। आपूर्तिकर्ता ने इसके अनुसार, खरीदारों से यह पूछते हुए जवाब भेजा कि आपूर्तिकर्ता कब भुगतान एकत्र कर सकता है, और उसके बाद ही, आपूर्तिकर्ता ने खरीदारों को कानूनी नोटिस भेजा और अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की। दी गई परिस्थितियों में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया भी विफल रहा है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत विचार के अनुसार चेक निकालने की तारीख पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य देयता मौजूद थी। यह निर्णय तत्काल अपीलार्थी के लिए कोई सहायक नहीं होगा।

23. जब मामले की सुनवाई पहले 1 मार्च, 2021 को हुई थी, तो हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील को निर्देश देने का निर्देश दिया कि क्या उसका मुवक्किल दोनों आपराधिक अपीलों यानी रु. 5,07,062/- और रु. 5,10,000/- में बताई गई चेक राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है और मामले को अगली सुनवाई के लिए 05 मार्च, 2021 को पोस्ट किया। निर्देश पर अपीलार्थी के विद्वान वकील ने सूचित किया कि उसका मुवक्किल बताई गई राशि का निर्वहन करने को तैयार नहीं है, और गुण-दोष के आधार पर मामले पर बहस करना चाहता है। दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, हमने 05 मार्च, 2021 को आदेश सुरक्षित रखा और फिर भी एक अवसर दिया कि 6 मार्च, 2021 की शाम तक, अपीलार्थी अभी भी अपने निर्देशों पर फिर से विचार कर सकती है जैसा कि हमने 1 मार्च, 2021 के

आदेश में देखा था। यह हमें सूचित किया गया है कि अपीलार्थी गुण-दोष के आधार पर वर्तमान अपीलों का परिणाम प्राप्त करने में रुचि रखता है।

24. प्रदत्त परिस्थितियों में, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के अपराध के निष्कर्ष को दर्ज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। और उसके आक्षेपित निर्णय के तहत अधिनियम की धारा 138 के तहत किए गए अपराध के लिए उसे दोषी ठहराते हुए, जिसे हमारे विचार में, आगे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। नतीजतन, अपीलें बिना किसी आधार के हैं, और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं।

25. जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं और अपीलकर्ता या तो जुर्माना चुकाएगा, या फैसले के अनुपालन में सजा काट लेगा। दिनांक 30 अप्रैल, 2019 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया।

26. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

याचिकाएं खारिज

1 (2008) 1 एस. सी. सी. 258

2 (2014) 12 एससीसी 539 [2021] 2 एस. सी. आर.

3 (2010) 11 एस. सी. सी.

4 41 एम. ई. टी. आई. वी. जे. बनाम।

5 (2019) 10 एससीसी 287 [2021] 2 एस. सी. आर.

6 (2008) 1 एस. सी. सी. 258 7 1 (2014) 12 एस. सी. सी. 539